32

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–102/2006

U/S 16, Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records} Act, 1973

1. कमला उरांव, पिता–स्व0 तेतर उरांव
2. निर्मल उरांव | दोनों के पिता–कमलू उरांव
3. राजकुमार उरांव

सभी का साकिन–जोका जलमारी, थाना–के0 नगर, जिला– पूर्णियाँ ..... आवेदक

बनाम्

मसोमात लुत्ती देवी, पति–स्व0 जगलाल उरांव, साकिन–िजोका जलमारी, थाना–के0 नगर, जिला– पूर्णियाँ.....

विपक्षी

आ दे श

आवेदकगण भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सदर द्वारा नामान्तरण अपील वाद संख्या–9/2005–06 में दिनांक 22.07.2006 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक संख्या–1 एवं विपक्षी के पति स्व0 तेतर उरांव के पुत्र है तथा आवेदक संख्या–2 एवं 3 आवेदक संख्या–1 के पुत्र है। आवेदक का कथन है कि मौजा–जोका जलमारी में कुल 3.45 एकड़ जमीन स्व0 तेतर उरांव के नाम से था। तेतर उरांव उपरोक्त जमीन के अतिरिक्त अन्य जमीन भी अपने दोनों पुत्र आवेदक संख्या–1 एवं विपक्षी के पति के नाम से खरीदा था। विपक्षी के पति जगलाल उरांव अपनी पत्नी एवं दो पुत्री को छोड़कर स्वर्गीय हो गये। आदिवासी में उरांव जाति का अपना अलग नियम है, जिसके अनुसार किसी भी उरांव परिवार में अंतिम पुरूष सदस्य की मृत्यु के उपरान्त महिला उसके सम्पत्ति का हकदार नहीं होगी। अतः तेतर उरांव अपनी जमीन आवेदक संख्या–1 के पुत्र आवेदक संख्या–2 एवं 3 को हिस्से में दे दिया। इस आधार पर आवेदक संख्या–2 एवं 3 नामान्तरण हेतु अंचलाधिकारी, के0 नगर को आवेदन दिया। अंचलाधिकारी जाँच करने के उपरान्त दिनांक 13.08.2004 को आवेदक संख्या–2 एवं 3 के नाम नामान्तरण का आदेश दिया। अंचलाधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध विपक्षी भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद संख्या–9/2005–06 दायर की। निम्न न्यायालय द्वारा बिना जाँच किये ही अंचलाधिकारी द्वारा पारित नामान्तरण आदेश को रद्द कर दिया गया, जो नियम के विरूद्ध है। किसी भी जमीन पर विपक्षी का दखल नहीं है। अतः आवेदकगण इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि आवेदकगण द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद निर्वहन योग्य नहीं है। विपक्षी का कथन है कि उरांव जाति का नियम हिन्दु उत्तराधिकार कानून के समान है, केवल संथाल जाति का अलग कानून है। विपक्षी के पति का आधा हिस्सा था, जिस पर वह दखलकार है। आवेदक गलत प्रमाण पत्र के आधार नामान्तरण अपने नाम करवाया। किसी के नाम दर्ज जमीन केवल रजिस्टर्ड केवाला द्वारा ही बदला जा सकता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। अतः विपक्षी इस न्यायालय से निवेदन करती है कि आवेदकगण द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 02.03.2012 को सुनवाई की गयी। आवेदक अनुपस्थित थे। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि दिनांक 29.11.2010 से आवेदक लगातार विभिन्न तिथियों में अनुपस्थित रहे। पुनः दिनांक 05.12.2011 को उपस्थित हुए, परन्तु दिनांक 20.01.2012 तथा सुनवाई के दिन दिनांक 02.03.2012 को अनुपस्थित रहे। दिनांक 06.05.2011 को न्यायालय में विपक्षी के द्वारा आवेदक के लगातार अनुपस्थिति को आधार बनाते हुए इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया। न्यायालय द्वारा इसपर आवेदक को अंतिम मौका भी दिया गया था। इसके बाबजूद भी आवेदक स्वंय न्यायालय में उपस्थित नहीं रहने से स्पष्ट होता है कि इस वाद के निष्पादन में आवेदक को कोई रूचि नहीं है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कथन है कि आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन निर्वहन योग्य नहीं है। आवेदक के लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए इस वाद को खारिज किया जाय।

निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में पंचनामा बंटवारा में उभय पक्षों के हिस्सा संबंधी बातों पर विचार किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा विवादित जमीन में आधा हिस्सा पर अपीलकर्त्ता का दखल–कब्जा होने का जिक है परन्तु इसका कोई आधार नहीं बताया गया। इससे स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा टाईटिल संबंधी बातों पर अधिक विचार किया गया, जो उनके न्यायालय के क्षेत्राधीन नहीं है। निम्न न्यायालय का आदेश में दखल–कब्जा संबंधी कोई जिक भी नहीं है।

पुनः दिनांक 25.05.2012 को अभिलेख सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं सुनवाई से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है, इसलिये इस आदेश को खारिज किया जाता है। इस वाद को अंचलाधिकारी, के0 नगर को भेजते हुए आदेश दिया जाता है कि स्थल निरीक्षण कर वास्तविक दखल–कब्जा के आधार पर दाखिल–खारिज हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। यह कार्रवाई 02 (दो) माह के अन्दर करने का निदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/5/12

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

30/5/12

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ